न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 कोटा (राज०)

....

पीठासीन अधिकारी- आशीष दाधीच, आर.जे.एस. **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

सेशन प्रकरण (सीआईएस) संख्याः- 154/2023

CNR No. RJKT01-001803-2023

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.237/2022 पुलिस थाना गुमानपुरा, कोटा शहर

सरकार बनाम शाकिब खान उर्फ मांडल वगैरह

अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 341, 323, 324, 384, 307, 149 भारतीय दण्ड संहितां एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम

....

भाग-प्रथम दिनांक: 03.08.2026

ए

फरियादी/मजरूब	उत्कल पारेता पुत्र गिरीश पारेता
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	01. शाकिब खान उर्फ मांडल पुत्र अब्दुल हनीफ उम्र 20 साल, निवासी बंजारा कॉलोनी, आदर्श नगर, थाना किशोरपुरा, कोटा. **02. लोकेश कुमार पुत्र देवकीनंदन उम्र 21 साल निवासी चम्बल कॉलोनी, सकतपुरा, थाना कुन्हाडी** **(मृतक कार्यवाही दिनांक 17.05.2025 को ड्रॉप)** 03. जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा पुत्र बाबूलाल उम्र 23 साल निवासी म.नं.ए-31, चंचल विहार, कुन्हाडी, थाना कुन्हाडी, कोटा 04. रवि धाकड उर्फ जिन्गा पुत्र रामलाल उम्र 20 साल निवासी रामचंद्रपुरा, पानी की टंकी के पास, बालिता रोड, कुन्हाडी, कोटा 05. विजय अरोडा उर्फ विक्की पंजाबी पुत्र राजेन्द्र अरोडा उम्र 25 साल निवासी म.नं.ए-10, हाउसिंग बोर्ड, पानी की टंकी के पास, कुन्हाडी, थाना कुन्हाडी, कोटा 06. कुशाल अरोडा उर्फ खुश पुत्र राकेश अरोडा, उम्र 22 साल निवासी न्यू पोस्ट आफिस रोड, कोटा जंक्शन, थाना भीमगंज मण्डी, कोटा.
अभियुक्त की ओर से	श्री कमलकांत शर्मा व श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, अधिवक्तागण
राज्य की ओर से	श्री रामदयाल शाक्यवाल, अपर लोक अभियोजक

Authenticated Document

बी

अपराध की दिनांक	22.05.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	23.05.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	06.02.2023
आरोप विरिचत किए जाने की दिनांक	02.09.2023
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	01.06.2024
निर्णय दिनांक	03.08.2026
दोषसिद्ध/दोषमुक्ति की दिनांक	03.08.2026 दोषमुक्त

सी

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्व	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाप्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01.	शाकिब खान उर्फ मांडल	27.05.22	05.07.22	147,148,149,341,323 , 324,384,307 भा.द.सं. व 4/25 आ.अधि	दोषमुक्त	-	-
02	लोकेश कुमार (मृतक)	27.05.22	18.07.22	147,148,149,341,323, 324,384,307 भा.द.सं	मृतक	मृतक	
03	जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा	06.06.22	07.07.22	147,148,149,341,323, 324,384,307 भा.द.सं	दोषमुक्त	-	-
04	रवि धाकड उर्फ जिन्गा	06.06.22	08.07.22	147,148,149,341,323, 324,384,307 भा.द.सं	दोषमुक्त	-	-
05	विजय अरोडा उर्फ विक्की	26.06.22	08.07.22	147,148,149,341,323, 324,384,307 भा.द.सं	दोषमुक्त	-	-
06.	कुशाल अरोडा उर्फ कुश	04.07.22	08.07.22	147,148,149,341,323, 324,384,307 भा.द.सं	दोषमुक्त	-	-

<u>भाग द्वितीय</u>

अभियोजन गवाहान की सूची

अ-अभियोजन गवाहान.

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू.1	उत्कल पारेता	परिवादी-मजरूब
पी.डब्ल्यू.2	भुवनेश चौधरी	मजरूब
पी.डब्ल्यू.3	मुकेश कुमार	पुलिस गवाह

पी.डब्ल्यू.4	महेन्द्र कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.5	जितेन्द्र कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.6	गुरूजोत सिंह	फर्द जप्ती पेनड्राईव व नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.7	जीतराम	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.8	बद्रीलाल	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.9	कान्हासिंह	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.10	छोटूलाल	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.11	सुल्तान सिंह	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.12	महेन्द्र कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.13	मुलाराम	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.14	प्रदीप शर्मा	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.15	सत्यप्रकाश	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.16	डॉ. अमित जोशी	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू.17	हाकिम सिंह	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.18	राजेन्द्र कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.19	नवीन कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.20	मुकेश कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू.21	धनराज	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.22	ताराबाई	अन्य गवाह

अभियोजन प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नम्बर	विवरण
प्रदर्श पी.1	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी.2	चाक एफ.आई.आर.
प्रदर्श पी.3	नक्शा मौका घटनास्थल
प्रदर्श पी.4	फर्द जप्ती नेकर
प्रदर्श पी.5	फर्द जप्ती पेन ड्राईव
प्रदर्श पी.6	धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान उत्कल पारेता
प्रदर्श पी.7	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम कुशाल अरोडा
प्रदर्श पी.8	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम जीतू उर्फ जितेन्द्र

प्रदर्श पी.9	फर्द बरामदगी व जप्ती एक मोटर साईकिल हीरो स्पलेन्डर
प्रदर्श पी.10	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त रवि मालव
प्रदर्श पी.11	फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल चम्बल प्लाजा
प्रदर्श पी.12	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम विजय अरोडा
प्रदर्श पी.13	फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल चम्बल प्लाजा शॉपिंग सेन्टर,
प्रदर्श पी.14	फर्द बरामदगी व जप्ती चाकू बकब्जे मुलजिम शाकिब खान
प्रदर्श पी.15	फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मकान मुलजिम शाकिब खान
प्रदर्श पी.16	फर्द बरामदगी व जब्ती चाकू बकब्जे मुलजिम लोकेश कुमार
प्रदर्श पी.17	फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका मकान लोकेश कुमार
प्रदर्श पी.18	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम लोकेश कुमार
प्रदर्श पी.19	फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी मुलजिम शाकिब खान
प्रदर्श पी.20	फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल चम्बल प्लाजा बार होटल के सामने
प्रदर्श पी.21	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र उत्कल पारेता
प्रदर्श पी.22	चोट प्रतिवेदन प्रपत्र भुवनेश चौधरी
प्रदर्श पी.22 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
प्रदर्श पी.23 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
प्रदर्श पी.24 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
प्रदर्श पी.25 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
प्रदर्श पी.26	फर्द बरामदगी व जप्ती एक मोटरसाईकिल पल्सर
प्रदर्श पी.27	फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल चम्बल प्लाजा
प्रदर्श पी.28	पत्र कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना उद्योग नगर, कोटा
प्रदर्श पी.29	रसीद कार्यालय अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला
प्रदर्श पी.30 व 39	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.अभियुक्तगण
प्रदर्श पी.40	पत्र कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा शहर
प्रदर्श पी.41	पत्र कार्यालय थानाधिकारी थाना भीमगंजमण्डी कोटा शहर
प्रदर्श पी.42	आपराधिक रिकार्ड अभियुक्त जितेन्द्र व रवि
प्रदर्श पी.43	अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका
प्रदर्श पी.44	साक्षी को सम्मन
प्रदर्श पी.45	रिपोर्ट क्षेत्रीय फोरेंसिक साईंस लेबोरेट्री, कोटा
प्रदर्श पी.46	प्रमाण पत्र धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम

प्रदर्श पी.47 से 62	रोजनामचा रपटें
प्रदर्श पी.63 से 65	मालखाना चिट

ब-बचाव पक्ष की ओर से-

प्रदर्श डी.1	धारा 161 सी.आर.पी.सी. के बयान गवाह उत्कल पारेता
प्रदर्श डी.2	धारा 161 सी.आर.पी.सी. के बयान मजरूब भुवनेश चौधरी

आर्टिकल-

आर्टिकल नम्बर	विवरण
आर्टिकल-1	पेनड्राईव

ः: निर्णय:ः दिनांक: 03.08.2026

01. यह प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5, कोटा द्वारा अभियुक्त शाकिब खान उर्फ मांडल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324, 147, 148, 149, 307, 384 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्तगण लोकेश कुमार, जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा, रवि धाकड उर्फ जिन्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की एवं कुशाल अरोडा उर्फ खुश के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324, 147, 148, 149, 307, 384 भारतीय दण्ड संहिता की अन्वीक्षा हेतु माननीय सेशन न्यायालय कोटा में कमिट किया गया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु दिनांक 15.03.2023 को अन्तरित किए जाने पर दिनांक 27.03.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.05.2022 को परिवादी/मजरूब उत्कल पारेता ने थानाधिकारी, पुलिस थाना गुमानपुरा, कोटा शहर के समक्ष उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वे शॉपिंग सेन्टर पानी की टंकी के रोड पर निकल रहे थे तो उनकी बाईक रास्ते में खडी थी, उसने साइड में हटने की कहा तो उन्होंने उस पर आत्मघाती हमला किया, वे दारू पिए हुए थे और उसके बाद उसकी एक चैन छीन कर ले गए और उल्टे पैर जांघ पर चाकू मार दिया। उसके साथी द्वारा बचाव करने पर उस पर भी आत्मघाती हमला कर दिया एवं गाडी नं.आर.जे. 33-सीए-3125 स्वफिट पर पीछा कर उस पर बडे बडे पत्थरों से हमला किया एवं गाडी में डेंट भी पड गए काफी सारे एवं रिपोर्ट कराने पर धमकी दी गई कि तुझे जान से मार देंगें, इत्यादि।

03. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना गुमानपुरा, कोटा शहर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 237/2022 धारा 341, 323, 379 भारतीय दण्ड संहिता में

Authenticated Document

पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त शाकिब खान उर्फ मांडल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324, 147, 148, 149, 307, 384 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्तगण लोकेश कुमार, जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा, रवि धाकड उर्फ जिन्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की एवं कुशाल अरोडा उर्फ खुश के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324, 147, 148, 149, 307, 384 भारतीय दण्ड संहिता के तहत सम्बन्धित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

04. तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला माननीय सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होने से माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा के न्यायालय में उपार्पित किया, जहां से कालांतर में यह प्रकरण विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

05. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त शाकिब खान उर्फ मांडल को धारा 341, 323, 324, 147, 148, 307, 149, 384 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्तगण लोकेश कुमार, जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा, रवि धाकड उर्फ जिन्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की एवं कुशाल अरोडा उर्फ खुश को धारा 341, 323, 324, 147, 148, 307, 149, 384 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप पृथक से लिखित में विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

06. अंवीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पृष्ठ सं.2 से 5 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध कराए जाकर दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गया है।

07. तत्पश्चात् परिवादी/मजरूबान उत्कल पारेता व भुवनेश चौधरी ने अभियुक्तगण शाकिब खान उर्फ मांडल, लोकेश कुमार, जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा, रवि धाकड उर्फ जिन्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की एवं कुशाल अरोडा उर्फ खुश से धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता में राजीनामा प्रस्तुत किया, जिस पर धारा 341, 323 भा0दं0सं0 के तहत राजीनामा तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण को धारा 341, 323 भा0दं0सं0 के अपराध में बरूवे राजीनामा दिनांक 01.06.2024 को दोषमुक्त घोषित किया गया।

08. यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में **अभियुक्त लोकेश कुमार** की मृत्यु हो जाने से इस प्रकरण की समस्त कार्यवाही **अभियुक्त लोकेश कुमार** के विरूद्ध दिनांक 17.05.2025 को ड्रॉप की जा चुकी है, इसलिए यह निर्णय अभियुक्तगण **शाकिब खान उर्फ**

मांडल, जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा, रवि धाकड उर्फ जिन्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की एवं कुशाल अरोडा उर्फ खुश के निमित्त किया जा रहा है।

09. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन तथ्यों को गलत होना बताया तथा कथन किया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूंठा फंसाया है तथा बचाव में साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई बंद कर पत्रावली में बहस अंतिम सुनी गई।

10. बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

(1) आया अभियुक्तगण ने दिनांक 22.05.2022 को समय रात्रि करीब 10.30 से 11.10 पी.एम. के लगभग वाके शॉपिंग सेन्टर गुमानपुरा, कोटा शहर में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर जिनकी संख्या पांच अथवा पांच से अधिक थी, घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी उत्कल पारेता व भुवनेश चौधरी के साथ बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं उक्त अवैध जमाव के सदस्य के रूप में परिवादी-मजरूब व भुवनेश चौधरी को वसूली के उददेश्य से डाराधमकाकर जबरदस्ती चैन छीन ली एवं परिवादी के शीर पर धारदार हथियार चाकू से प्रहार कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की एवं परिवादी-मजरूब उत्कल पारेता व मजरूब भुवनेश चौधरी के शरीर पर ऐसे ज्ञान व आशय के साथ और ऐसी परिस्थितियों में चाकू से प्रहार कर चोटे कारित की, यदि उक्त चोटों से अभियुक्तगण परिवादी-मजरूब उत्कल पारेता व मजरूब भुवनेश चौधरी की मृत्यु कारित कर देते तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते, इस प्रकार अभियुक्तगण ने परिवादी व मजरूब की हत्या का प्रयत्न किया ?

02. क्या अभियुक्त शाकिब खान उर्फ मांडल के अनन्य कब्जे से उसकी सूचना पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू बरामद किया, जिसको कब्जे में रखने का अभियुक्त के पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था ?

(3) यदि हां तो अभियुक्तगण को किस दण्ड से दंडित किया जाये कि न्याय के उद्देश्यों की पूति हो जाये ?

11. इस संबंध में विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध को प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने की प्रार्थना की।

12. इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रकरण में परिवादी व मजरूबान एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा प्रकरण में

परीक्षित परिवादी-आहत सहित अन्य अभियोजन गवाहान ने अभियोजन कहानी का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन की ओर से परीक्षित चश्मदीद गवाह व मजरूब ने न तो तहरीरी रिपोर्ट में किसी भी अभियुक्त को नामजद किया है, न ही अपने बयानों में अभियुक्तगण को नामजद करते हुए उनके कृत्य को स्पष्ट किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई पहचान परेड भी नहीं करायी गयी है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियुक्तगण को रंजिशवश झूंठा फंसाया गया है, जबकि हस्तगत प्रकरण से उनका कोई लेना देना नहीं है, परिवादी व मजरूब द्वारा हाजिर अदालत अभियुक्तगण को नहीं जानना बताया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि स्वयं परिवादी ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी.1 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से इंकार किया है, इसके अलावा उक्त गवाह ने पुलिस द्वारा उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराना व धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान का सी से डी भाग पुलिस के दबाव में देना, अभियुक्तगण को पहले से जानना, लेकिन उनके द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित नहीं करना, घटना में शामिल नहीं होना, प्रदर्श पी.1 तहरीरी रिपोर्ट का सी से डी भाग उसका लिखा नहीं होना, पुलिस के कहने से हस्ताक्षर करना बताया है, जिससे अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं होता है एवं अभियुक्तगण से राजीनामा होना स्वीकार किया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि इसी प्रकार मजरूब भुवेनश चौधरी है, जोकि अभियोजन की ओर से पी.डब्ल्यू.2 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने भी परिवादी के अनुरूप ही कथन किए हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह का ऐसा कोई कथन नहीं रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी उत्कल पारेता व भुवनेश चौधरी के साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित की हो। उनका यह भी तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से अन्य गवाहान जो परीक्षित हुए हैं, वे पुलिसकर्मी होकर औपचारिक प्रकृति के गवाह हैं, जिनकी साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उनका यह भी तर्क रहा है कि मजरूबान के कारित चोटें अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी हो, ऐसी अभियोजन की कोई साक्ष्य पत्रावली पर मोजूद नहीं है, न ही चिकित्सक द्वारा मजरूबान के कारित चोटें प्राणघातक बतायी है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित घटना के महत्वपूर्ण गवाहान ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। इस स्थिति में उसको आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

13. उभयपक्षों के तर्को एवं पत्रावली पर आई समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन किया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में मेरा विवेचन निम्नानुसार है:-

14. उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं को संदेह से परे साबित करने का भार

अभियोजन के ऊपर है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस संबंध में कुल 22 गवाहान को न्यायालय में पेश कर परीक्षित कराया गया है। हस्तगत प्रकरण तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 के आधार पर दर्ज हुआ है, जो परिवादी-मजरूब उत्कल पारेता ने थानाधिकारी, पुलिस थाना गुमानपुरा, कोटा शहर के समक्ष उपस्थित होकर दर्ज करायी गयी थी, जिसमें वर्णित तथ्यों के संबंध में परिवादी/मजरूब पी.डब्ल्यू.1 उत्कल पारेता ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है एवं घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 थाना गुमानपुरा पर दर्ज कराना, चाक एफआइआर प्रदर्श पी.2, पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 बनाना बताते हुए पुलिस ने उसका नेकर जरिए फर्द जप्ती प्रदर्श पी.4 जब्त कर घटनास्थल की पेन डाइव में सीसीटीवी फुटेज लेकर फर्द प्रदर्श पी.5 बनाना एवं उसके धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान प्रदर्श पी.6 लेखबद्ध कराना एवं उक्त फर्दात पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताया है, **लेकिन अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में अपने मुख्य परीक्षण व तहरीरी रिपोर्ट में किए गए कथनों के विपरीत जाकर इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी.1 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया, साथ ही जिन फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं, वे खाली कागज पर कराना बताते हुए उसके धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान प्रदर्श पी.6 का सी से डी भाग पुलिस के दबाव में देना बताया है, इसके अलावा उक्त गवाह ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह कुशाल अरोडा उर्फ कुश, शाकिब खान, जीतू उर्फ जितेन्द्र, लोकेश, रवि मालव उर्फ झिंगा, विजय अरोडा उर्फ विक्की को पहले से जानता था, इन्होंने उसके साथ कोई भी घटना कारित नहीं की, न ही ये लोग उस दिन घटना में शामिल थे, उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 का सी से डी भाग उसका लिखा नहीं है, उसने पुलिस के कहने से हस्ताक्षर किए थे, उसका सभी अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है, वह अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।** इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा जिरह में किए गए कथनों से उसका मुख्य परीक्षण व तहरीरी रिपोर्ट में अंकित तथ्य खण्डित हो जाते हैं, जिससे अभियोजन कहानी को कोई मदद नहीं मिलती है और अभियोजन कहानी के प्रति संदेह उत्पन्न करता है।

15. इसके अलावा अभियोजन की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू.2 भुवनेश चौधरी को परीक्षित कराया है, जोकि स्वयं मजरूब है, ने अपने मुख्य परीक्षण में परिवादी-मजरूब उत्कल पारेता के कथनों की ताईद की है, लेकिन उक्त गवाह ने भी जिरह में स्पष्ट कथन किया है कि **वह कुशाल अरोडा उर्फ कुश को पहले से जानता था, इसने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की, न ही ये उस दिन घटना में शामिल था। उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी.2 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया, साथ ही जिन फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं, वे खाली कागज पर कराना बताया है, इसके अलावा उक्त गवाह ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कुशाल अरोडा**

उर्फ कुश, शाकिब खान, जीतू उर्फ जितेन्द्र, लोकेश, रवि मालव उर्फ झिंगा, विजय अरोडा उर्फ विक्की ने उत्कल पारेता के साथ मारपीट नहीं की, कोई भी घटना कारित नहीं की, न ही ये लोग उस दिन घटना में शामिल थे, उत्कल पारेता का अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है, उसके सामने कोई भी सामान जब्त नहीं किया। इस प्रकार उक्त गवाह जोकि स्वयं चश्मदीद गवाह है व स्वयं आहत है, के कथनों से भी अभियोजन को कोई मदद नहीं मिलती है।

16. इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित उक्त परिवादी/आहत उत्कल पारेता व मजरूब भुवनेश चौधरी घटना के अहम गवाह व स्वयं आहतगण हैं, जिनके द्वारा अभियोजन कहानी का किसी भी प्रकार समर्थन नहीं किया है, साथ ही स्वयं परिवादी-मजरूब व मजरूब भुवनेश चौधरी ने अभियुक्तगण **कुशाल अरोडा उर्फ कुश, शाकिब खान, जीतू उर्फ जितेन्द्र, लोकेश, रवि मालव उर्फ झिंगा, विजय अरोडा उर्फ विक्की द्वारा उत्कल पारेता व भुवनेश चौधरी के साथ मारपीट नहीं करना एवं उस दिन घटना में शामिल नहीं होना बताते हुए उक्त गवाहान ने अभियुक्तगण से राजीनामा होना स्वीकार किया है।** यहां इस तथ्य का उल्लेख करना उचित है कि जब मामले के महत्वपूर्ण गवाहान अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहे हों तो अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है, अन्य गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

17. इसके अलावा अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू.3 मुकेश कुमार** फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण जीतू उर्फ जितेन्द्र व रवि मालव प्रदर्श पी.8 व पी.10 का औपचारिक गवाह है, जिसने जिरह में इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है कि अभियुक्तगण को गिरफतार करके कहां से लाए, उसे याद नहीं है। गवाह **पी.डब्ल्यू.4 महेन्द्र कुमार** फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण कुशाल उर्फ कुश, जीतू जितेन्द्र, रवि मालव प्रदर्श पी.7, 8 व 10, फर्द जप्ती मोटर साइकिल प्रदर्श पी.9 का गवाह है, जिसने जिरह में इस तथ्य से अनभिज्ञता जाहिर की है कि रवि और जितेन्द्र को आई.ओ. कहां से लाए, उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह **पी.डब्ल्यू.5 जितेन्द्र कुमार** फर्द जप्ती मोटर साइकिल प्रदर्श पी.9 व फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.11 का गवाह है, जिसने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब्तशुदा गाडी किसके नाम थी, इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा गवाह **पी.डब्ल्यू.6 गुरूजोत सिंह** फर्द जब्ती पेनड्राईव प्रदर्श पी.5 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 का गवाह है, जिसने जिरह में नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 थाने पर बनाना, पेनड्राईव किससे जब्त की, उसे याद नहीं होना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू.7 **जीतराम** फर्द गिरफतारी अभियुक्त विजय अरोडा उर्फ विक्की प्रदर्श पी.12 व फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.13 का गवाह है, जिसने जरह में अभियुक्त को थाने से गिरफतार करना बताया है। **गवाह**

पी.डब्ल्यू.8 बद्रीलाल फर्द बरामदगी चाकू अभियुक्त शाकिब खान व लोकेश कुमार प्रदर्श पी.14 व 16 एवं बरामदगी स्थल के नक्शा प्रदर्श पी.15 व 17 का गवाह है, जिसने जिरह में कथन किया है कि जब्तशुदा दोनों चाकू नए थे या पुराने, वह नहीं बता सकता। **गवाह पी.उबल्यू.10 छोटूलाल** फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण विजय अरोड़ा उर्फ विक्की पंजाबी, लोकेश कुमार व शाकिर प्रदर्श पी.12, 18, 19 एवं फर्द निरीक्षण नक्शा घटनास्थल प्रदर्श पी.20 का गवाह है, जिसने उक्त फर्दात पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। **गवाह पी.डब्ल्यू.11 सुल्तान सिंह** फर्द जप्ती चाकू अभियुक्त शाकिब खान प्रदर्श पी.14 एवं फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी.15 का गवाह है, लेकिन जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब्तीस्थल मकान किसका था, जब्ती के समय किसने खोला, यह उसकी जानकारी में नहीं है, इसके अलावा उक्त गवाह का ऐसा भी कोई कथन नहीं है कि जब्तशुदा मकान अभियुक्त के कब्जे का रहा हो। गवाह पी.डब्ल्यू.12 महेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल राम फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.11 का औपचारिक गवाह है, इसी प्रकार **गवाह पी.डब्ल्यू.13 मूलाराम** फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण लोकेश कुमार व शाकिन खान प्रदर्श पी.18 व 19 का गवाह है, जिसने जिरह में अभियुक्तगण को थाने पर ही गिरफतार करना बताया है। **गवाह पी.उब्ल्यू.14 प्रदीप शर्मा** फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी.13 व 20 का गवाह है, **गवाह पी.डब्ल्यू.15 सत्यप्रकाश** फर्द जप्ती खून आलूदा नेकर प्रदर्श पी.4 का औपचारिक गवाह है, साथ ही **गवाह पी.डब्ल्यू.17 हाकिम सिंह मालखाना प्रभारी** है, जिसने हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी धनराज सहायक उपनिरीक्षक द्वारा बरामद माल उसके समक्ष पेश करने पर जमा मालखाना करना बताते हुए मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी.22ए लगायत 25ए पर अपने हस्ताक्षर व विवरण अंकित होना बताते हुए जब्त शुदा माल मालखाने से एफ.एस.एल. में जांच हेतु नवीन कुमार कांस्टेबल को रवाना करना, जिसके द्वारा माल जमा कराकर रसीद उसको देना बताया है, **गवाह पी.उब्ल्यू.19 नवीन कुमार** ने मालखाना इंचार्ज द्वारा उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल एफ.एस.एल. में जमा कराने हेतु देने पर एस.पी.कार्यालय से अगेषण पत्र तैयार करवाकर माल एफ.एस.एल में जमा कराकर रसीद प्रदर्श पी.29 लाना व एस.पी.कोटा का अग्रेषण पत्र प्राप्त करना, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.28 का गवाह है। गवाह पी.उबल्यू.18 राजेन्द्र कुमार फर्द गिरफतारी अभियुक्त कुशाल अरोडा उर्फ खुश प्रदर्श पी.7, फर्द जप्ती मोटर साईकिल प्रदर्श पी.26 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.27 का गवाह है, जिसने जिरह में अभियुक्त को थाने पर गिरफतार करना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू.22 ताराबाई है, जिसने अपनी मोटर साइकिल रवि मालव द्वारा शादी में जाने के लिए मांग कर ले जाना बताया है।

18. **गवाह पी.डब्ल्यू.9 कान्हसिंह** द्वारा हस्तगत प्रकरण में परिवादी उत्कल पारेता द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज करना एवं अनुसंधान धनराज

के सुपुर्द करना बताया है, जबकि जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि **मजरूब रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, तब उसके कोई जाहिरा चोट नहीं थी, साथ ही स्वयं परिवादी ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर तो बताए हैं, लेकिन सी से डी भाग उसका लिखा हुआ नहीं होना बताया है, जिससे यह दर्शित नहीं होता है कि तहरीरी रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गयी थी।** इसके अलावा गवाह **पी.डब्ल्यू.20 मुकेश कुमार** द्वारा हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश करना बताया है।

19. इसके अलावा अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू.16 डॉ0 अमित जोशी** मेडिकल ज्युरिष्ट है, जिसने दिनांक 23.05.2022 को मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर एमबीएसएच कोटा में कार्यरत रहते हुए पुलिस थाना गुमानपुरा की तहरीर पर मजरूव उत्कल पारेता व भुवनेश चौधरी का मेडिकल मुआयना करना, मजरूब उत्कल पारेता के शरीर पर दो चोटें कारित होना, दोनों चोटें साधारण प्रकृति की होकर चोट सं.1 धारदार हथियार से व चोट सं.2 कुंदालय से कारित होना एवं मजरूब भुवनेश चौधरी के एक चोट खरौंच साधारण प्रकृति की कुंदालय से कारित होना बताते हुए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.21 व पी.22 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर एवं सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह होना बताया है। उक्त गवाह ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि **चोट प्रदर्श पी.21 में वर्णित चोट सं.1 किसी वस्तु की नुकीली नोंक से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार उक्त चिकित्सक का ऐसा कोई कथन नहीं है कि मजरूबान के कारित कोई भी चोट प्राणघातक रही हो।**

20. इसके अलावा अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू.21 धनराज** हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसने कथन किया है कि वह दिनांक 23.05.2022 को थाना गुमानपुरा पर एसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे मुकदमा नं0 237/22 धारा 323, 341, 379 आईपीसी का अनुसंधान दिया गया था। दौराने अनुसंधान फरियादी उत्कल पारेता, गवाह श्रीमती तारा बाई, हाकम सिंह, नवीन कुमार, भुवनेश कुमार चौधरी के धारा 161 सीआरपीसी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए। घटनास्थल का दिनांक 23.05.2022 को निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 बनाया, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 03.06.2022 को फरियादी द्वारा वक्त घटना पहना एक नेकर खूनआलूदा पेश करने पर उसे जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी.4 बनायी। दिनांक 23.05.2022 को फरियादी द्वारा घटना में प्रयुक्त पेन ड्राइव पेश करने पर उसे जरिये फर्द प्रदर्श पी.5 जब्त किया, फरियादी उत्कल पारेता व भुवनेश का एमबीएस कोटा में मेडिकल मुआयन कराकर मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण शाकिब खान मोडल के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 324, 341, 384, 307 आईपीसी व 4/25 आर्म्स एक्ट तथा

अभियुक्तगण 2. लोकेश राठौर, 3. जीतू जितेंद्र मीणा, 4. रवि धाकड़ उर्फ झींगा, 5. विजय उर्फ अरोड़ा उर्फ विक्की पंजाबी, 6. कुशाल अरोड़ा उर्फ कुश के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 324, 341, 384, 307 आईपीसी प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त कुशाल अरोडा उर्फ कुश को दिनांक 04.07.2022, अभियुक्त जीतू उर्फ जीतेन्द्र मीणा व रवि मालव उर्फ झींगा को दिनांक 06.06.2022, अभियुक्त विजय अरोडा उर्फ विक्की को दिनांक 26.06.2022, अभियुक्त लोकेश कुमार व शाकिब उर्फ बादल को दिनांक 27.05.2022 को गिरफतार कर फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी.7, 8, 10, 12, 18, 19 बनाए, जिन पर उसके, गवाहान व अभियुक्तगण के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 04.07.2022 को मुल्जिम कुशाल अरोड़ा उर्फ कुश द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी.30 व 31 दी, जिस पर अभियुक्त के न्यू पोस्ट आफिस रोड, कोटा स्थित मकान के कमरे में से खड़ी मोटर साइकिल आर जे 20 बी ए 1049 निकालकर उसको पेश करने पर बतौर वजह सबूत जरिए फर्द जप्ती प्रदर्श पी.9 जब्त किया, मुल्जिम कुशाल अरोड़ा की निशादेही से दिनांक 04.07.2022 को समय 3.45 पी.एम. पर घटनास्थल की तस्दीक की जाकर फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 27 बनाया, जिन पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 28.05.2022 को मुल्जिम लोकेश कुमार ने धारा 27 साक्ष्य अधि नियम की सूचना प्रदर्श पी.32 व प्रदर्श पी.33 दी, उक्त सूचना पर वह मय जाब्ता मय अनुसंधान बॉक्स व जैर हिरासत मुल्जिम के चंबल कोलोनी सकतपुरा, कुन्हाड़ी पहुंचे, जहां पर मुल्जिम ने अपने रिहायशी मकान के कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा कर रखा एक लोहे का धारदार चाकू निकालकर पेश करने पर बतौर वजह सबूत एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क बी दिया गया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी.16 व पुश्त पर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.17 है। दिनांक 28.05.2022 को मुल्जिम शाकिब खान उर्फ माडल ने उसको धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि उसने जिस चाकू से मारपीट कर चोट पहुंचायी थी, वह उसने अपने रिहायशी मकान के कमरे में टांड पर छिपाकर रखा है, जिसे वह चलकर बता सकत है, सूचना प्रदर्श पी.34 व प्रदर्श पी.35 है, जिन पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है। उक्त सूचना पर वह मय जाब्ता मय अनुसंधान बॉक्स व जैर हिरासत मुल्जिम के बंजारा कोलोनी आदर्श नगर पहुंचे, जहां पर मुल्जिम ने अपने रिहायशी मकान के कमरे में टांड पर छिपा कर रखा एक लोहे का धारदार चाकू निकालकर उसको पेश किया, जिसे बतौर वजह सबूत एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्के ए दिया गया, जिसकी फर्द जब्ती चाकू प्रदर्श पी.14 है, जिसकी पुश्त पर बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.15 व तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.20 है। दिनांक 06.06.2022 को मुल्जिम जीतू उर्फ जीतेंद्र द्वारा उसको धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी कि उसने उसके साथी शाकिब खान, कुशाल अरोड़ा, रवि धाकड़ के साथ मिलकर जिस स्थान पर चाकू से मारपीट की

घटना की थी, वह स्थान चलकर बता सकता है, सूचना प्रदर्श पी.36 है, उक्त सूचना तस्दीक घटनास्थल जितेंद्र व महेंद्र के समक्ष प्रदर्श पी.11 बनाया, दिनांक 06.06.2022 एवं दिनांक 07.06.2022 को मुल्जिम रवि धाकड़ उर्फ झींगा द्वारा उसको धारा 27 की सूचना दी कि उसने उसके साथी शाकिब खान, कुशाल अरोड़ा, विक्की पंजाबी, जीतू मीणा के साथ मारपीट की घटना की थी, उस स्थान को चलकर बता सकता है, घटना में जिस मोटर साइकिल का प्रयोग किया था, उसे चलकर बरामद करवा सकता है। उक्त सूचना प्रदर्श पी.37 व प्रदर्श पी.38 है, जिन पर ए से बी उसके व सी से डी अभियुक्त के हस्ताक्षर है। उक्त सूचना पर मुल्जिम के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल नं.आर जे 20 बी ए 4376 को समय 6.15 पी.एम. पर मुल्जिम के निवास स्थान से जब्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी.9 एवं तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी.11 बनायी, जिन पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 27.06.2022 को मुल्जिम विजय अरोड़ा ने उसको धारा 27 की सूचना दी कि उसने अपने साथी शाकिब खान, कुशाल अरोड़ा, विक्की पंजाबी, जीतू मीणा के साथ मारपीट की घटना की थी, उस स्थान को चलकर बता सकता है एवं घटना में जिस मोटर साइकिल का प्रयोग किया था, उसे चलकर बरामद करवा सकता है, सूचना प्रदर्श पी.39 पर ए से बी उसके व सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है। उक्त सूचना पर मुल्जिम विजय अरोडा उर्फ विक्की की निशादेही पर घटनास्थल का फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी.13 बनाया, जिस पर ए से बी व सी से डी गवाहान, इ से एफ उसके व जी से एच मुल्जिम विजय के हस्ताक्षर है। मुल्जिम लोकेश राठौर, कुशाल उर्फ कुश अरोड़ा, जीतेंद्र उर्फ जीतू, रवि धाकड़ उर्फ झींगा का आपराधिक रिकार्ड प्रदर्श पी.40 लगायत प्रदर्श पी.42 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया, फरियादी उत्कल पारेता के न्यायालय में मजि० साहब के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत दिनांक 05.08.2022 को बयान प्रदर्श पी.6 लेखबद्ध कराए, न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श पी.43, न्यायालय द्वारा जारी सम्मन प्रदर्श पी.44, नतीजा एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी.45, मालखाना रजि० की प्रति प्रदर्श पी.22ए, पी.23ए, पी.24ए व प्रदर्श पी.25 है, जिन पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है, जो शामिल पत्रावली है। जब्तशुदा आर्टिकल ए, बी, सी को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में जमा कराने नवीन कुमार कांस्टेबल द्वारा भेजा गया, जिसकी रसीद 1343 दिनांक 24.08. 2022 शामिल पत्रावली की गयी। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.28 व रसीद प्रदर्श पी.29 है। दिनांक 23.05.2022 को मूलाराम कांस्टेबल ने चंबल होटल बार प्लाजा में लगे कैमरो से दिनांक 22.05.2022 की घटना के फुटेज पेनड्राइव में हूबहू लेकर पेश किए थे। पेनड्राइव आर्टिकल-1 है। मूलाराम का 65बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.46 पर ए से बी मूलाराम के हस्ताक्षर है, जो उसके अधीनस्थ होने से वह उनके हस्ताक्षर पहचानता है। रोजनामचे की आमद रवानगी की नकल रपटें प्रदर्श पी.47 लगायत प्रदर्श पी.62 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सीलशुदा सफेद कपड़े की थैली को खोलने पर उसमें चिटमाल मार्क

Authenticated Document

ए निकला, जिसे खोलने पर उसमें एक चाकू निकला, जो आर्टिकल-1 है। चिट माल प्रदर्श पी.63 है। चिट माल मार्क बी को खोलने पर उसमें एक चाकू बटनदार निकला, जो आर्टिकल-2 है, चिट माल मार्क बी प्रदर्श पी.64 है, सीलशुदा मार्क सी को खोलने पर उसमें एक नीले कलर का नेकर निकला जो आर्टिकल-3 है, चिट माल प्रदर्श पी.65 है, जिस पर ए से बी उसके, सी से डी व इ से एफ गवाहान, जी से एच फरियादी के हस्ताक्षर व तीन एक्स स्थान पर मौके पर काम में ली गयी उसकी निजी सील का अंकन है। संपूर्ण अनुसंधान से मुल्जिमान शाकिब खान मोडल के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 324, 341, 384, 307 आईपीसी व 4/25 आर्म्स एक्ट तथा मुल्जिमान 2. लोकेश राठौर, 3. जीतू जितेंद्र मीणा, 4. रवि धाकड़ उर्फ झींगा, 5. विजय उर्फ अरोड़ा उर्फ विक्की पंजाबी, 6. कुशाल अरोडा उर्फ कुश के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 323, 324, 341, 384, 307 आईपीसी प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु एसएचओ साहब को सुपुर्द की गयी। **जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि फरियादी से अभियुक्तगण की शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं करवायी गयी।**

21. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के खण्डन में अभियुक्तगण की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है, केवल मात्र अभियोजन साक्ष्य के दौरान परिवादी-मजरूब उत्कल पारेता व भुवनेश चौधरी के धारा 161 सी.आर.पी.सी. के तहत लेखबद्ध किए गए बयानों को प्रदर्शित कराया गया है।

22. इस प्रकार अभियुक्तगण शाकिब खान उर्फ मांडल, जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा, रवि धाकड उर्फ जिन्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की एवं कुशाल अरोडा उर्फ खुश पर आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य का एक साथ अवलोकन करें तो हस्तगत प्रकरण में फरियादी/आहत उत्कल पारेता द्वारा दर्ज करायी गयी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि किसके द्वारा उसके साथ हस्तगत प्रकरण की घटना कारित की गयी थी, न ही किसी अभियुक्त को नामजद किया है, साथ ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि फरियादी से अभियुक्तगण की शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं करवायी गयी, इसके अलावा परिवादी-मजरूब उत्कल पारेता ने अपने मुख्य परीक्षण में भी घटना कारित करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया है, बल्कि यह कथन किया है कि वह अभियुक्तगण के नाम नहीं जानता, जो हाजिर अदालत नहीं हैं। इसके अलावा जिरह में अपने मुख्य परीक्षण के तथ्यों के विपरीत कथन किए हैं, पुलिस बयान प्रदर्श डी.1 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से इंकार किया है, फर्द जप्ती पेनड्राईव प्रदर्श पी.5 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 पर उसके पुलिस द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराना, धारा 164 सी.आर.पी.सी. के बयान का सी से डी भाग पुलिस के दबाव में देना, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श

पी.1 का सी से डी भाग उसका लिखा नहीं होना बताते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह कुशाल अरोडा उर्फ कुश, शाकिब खान, जीतू उर्फ जितेन्द्र, लोकेश, रवि मालव उर्फ झिंग्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की को पहले से जानता था, इन्होंने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की, न ही ये लोग उस दिन घटना में शामिल थे, उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है, वह अब कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इस प्रकार उक्त गवाह जोकि स्वयं परिवादी व मजरूब है, द्वारा जिरह में किए गए कथनों से पूरी अभियोजन कहानी खण्डित हो जाती है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू.2 भुवनेश चौधरी जोकि स्वयं मजरूब है, ने अपने मुख्य परीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उसके व उत्कल पारेता के साथ कोई घटना कारित की हो, साथ ही जिरह में तो स्पष्ट कथन किया है कि कुशाल अरोडा उर्फ कुश द्वारा उसके साथ कोई घटना नहीं की, न ही उस दिन यह घटना में शामिल था। पुलिस बयान प्रदर्श डी.2 का ए से बी भाग पुलिस को लिखाने से इंकार किया है, फर्द जप्ती पेनड्राईव प्रदर्श पी.5 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.3 पर पुलिस द्वारा खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराना बताया है, इसके अलावा इस तथ्य को स्वीकार किया ह कि कुशाल अरोडा उर्फ कुश, शाकिब खान, जीतू उर्फ जितेन्द्र, लोकेश, रवि मालव उर्फ झिंग्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की ने उत्कल पारेता के साथ मारपीट नहीं की, न ही ये लोग उस दिन घटना में शामिल थे, उत्कल पारेता का अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित उक्त परिवादी/आहत उत्कल पारेता व मजरूब भुवनेश चौधरी जोकि घटना के अहम गवाह व स्वयं आहतगण हैं, जिनके द्वारा अभियोजन कहानी का किसी भी प्रकार समर्थन नहीं किया है, साथ ही उक्त दोनों गवाहान ने अभियुक्तगण कुशाल अरोडा उर्फ कुश, शाकिब खान, जीतू उर्फ जितेन्द्र, लोकेश, रवि मालव उर्फ झिंग्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की द्वारा उनके साथ मारपीट नहीं करना एवं अभियुक्तगण से राजीनामा होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में जब मामले के महत्वपूर्ण गवाहान अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहे हों तो अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है, अन्य गवाहान की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

23. इसके अलावा अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू.3 मुकेश कुमार फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण जीतू उर्फ जितेन्द्र व रवि मालव प्रदर्श पी.8 व पी.10, गवाह पी.डब्ल्यू.4 महेन्द्र कुमार फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण कुशाल उर्फ कुश, जीतू जितेन्द्र, रवि मालव प्रदर्श पी.7, 8 व 10, फर्द जप्ती मोटर साइकिल प्रदर्श पी.9, गवाह पी.डब्ल्यू.5 जितेन्द्र कुमार फर्द जप्ती मोटर साइकिल प्रदर्श पी.9 व फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.11, गवाह पी.डब्ल्यू.6 गुरूजोत सिंह फर्द जब्ती पेनड्राईव प्रदर्श पी.5 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.3, गवाह पी.डब्ल्यू.7 जीतराम फर्द गिरफतारी अभियुक्त विजय अरोडा उर्फ विक्की प्रदर्श पी.12 व फर्द तस्दीक मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.13, गवाह पी.डब्ल्यू.8

बद्रीलाल फर्द बरामदगी चाकू अभियुक्त शाकिब खान व लोकेश कुमार प्रदर्श पी.14 व 16 एवं बरामदगी स्थल के नक्शा प्रदर्श पी.15 व 17, गवाह पी.उबल्यू.10 छोटूलाल फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण विजय अरोड़ा उर्फ विक्की पंजाबी, लोकेश कुमार व शाकिर प्रदर्श पी.12, 18, 19 एवं फर्द निरीक्षण नक्शा घटनास्थल प्रदर्श पी.20, गवाह पी.डब्ल्यू.11 सुल्तान सिंह फर्द जप्ती चाकू अभियुक्त शाकिब खान प्रदर्श पी.14 एवं फर्द बरामदगी स्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी.15 के औपचारिक गवाह हैं, गवाह सुल्तान सिंह ने जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि जब्तीस्थल मकान किसका था, जब्ती के समय किसने खोला, यह उसकी जानकारी में नहीं है, इसके अलावा उक्त गवाह का ऐसा भी कोई कथन नहीं है कि जब्तशुदा मकान अभियुक्त के कब्जे का रहा हो। गवाह पी.डब्ल्यू.12 महेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल राम फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी.11, गवाह पी.डब्ल्यू.13 मूलाराम फर्द गिरफतारी अभियुक्तगण लोकेश कुमार व शाकिन खान प्रदर्श पी.18 व 19, गवाह पी.उब्ल्यू.14 प्रदीप शर्मा फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी.13 व 20, गवाह पी.डब्ल्यू.15 सत्यप्रकाश फर्द जप्ती खून आलूदा नेकर प्रदर्श पी.4 के औपचारिक गवाह हैं, गवाह पी.डब्ल्यू.17 हाकिम सिंह मालखाना प्रभारी है, जिसने हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी धनराज सहायक उपनिरीक्षक द्वारा बरामद माल उसके समक्ष पेश करने पर जमा मालखाना करना बताते हुए मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी.22ए लगायत 25ए पर अपने हस्ताक्षर व विवरण अंकित होना बताते हुए जब्त शुदा माल मालखाने से एफ.एस.एल. में जांच हेतु नवीन कुमार कांस्टेबल को रवाना करना, जिसके द्वारा माल जमा कराकर रसीद उसको देना बताया है, गवाह पी.उब्ल्यू.19 नवीन कुमार ने मालखाना इंचार्ज द्वारा उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल एफ.एस.एल. में जमा कराने हेतु देने पर एस.पी.कार्यालय से अगेषण पत्र तैयार करवाकर माल एफ.एस.एल में जमा कराकर रसीद प्रदर्श पी.29 लाना व एस.पी.कोटा का अग्रेषण पत्र प्राप्त करना, थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी.28 का गवाह है। गवाह पी.डबल्यू.18 राजेन्द्र कुमार फर्द गिरफतारी अभियुक्त कुशाल अरोडा उर्फ खुश प्रदर्श पी.7, फर्द जप्ती मोटर साईकिल प्रदर्श पी.26 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.27 के औपचारिक गवाह हैं, गवाह पी.डब्ल्यू.22 ताराबाई है, जिसने अपनी मोटर साइकिल रवि मालव द्वारा शादी में जाने के लिए मांग कर ले जाना बताया है। गवाह पी.डबल्यू.9 कान्हसिंह द्वारा हस्तगत प्रकरण में परिवादी उत्कल पारेता द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज करना एवं अनुसंधान धनराज के सुपुर्द करना बताया है, लेकिन जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मजरूब रिपोर्ट दर्ज कराने आया था, तब उसके कोई जाहिरा चोट नहीं थी, साथ ही स्वयं परिवादी ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर तो बताए हैं, लेकिन सी से डी भाग उसका लिखा हुआ नहीं होना बताया है, जिससे यह दर्शित नहीं होता है कि तहरीरी रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गयी थी। इसके अलावा गवाह पी.डब्ल्यू.20 मुकेश कुमार द्वारा

हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश करना बताया है। उक्त सभी गवाहान ने उक्त फर्दात पर अपने-अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इसके अलावा गवाह पी.डब्ल्यू.21 धनराज अनुसंधान अधिकारी है, जिसने आवश्यक अनुसंधान करना बताया है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में बरामदशुदा माल की बरामदगी स्थल के संबंध में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है कि बरामदगी स्थल अभियुक्तगण के कब्जे व पजेशन का रहा हो।

24. इसके अलावा गवाह पी.डब्ल्यू.16 डॉ0 अमित जोशी मेडिकल ज्युरिष्ट द्वारा मजरूव उत्कल पारेता व भुवनेश चौधरी का मेडिकल मुआयना करना, मजरूब उत्कल पारेता के शरीर पर दो चोटें कारित होना, दोनों चोटें साधारण प्रकृति की होकर चोट सं.1 धारदार हथियार से व चोट सं.2 कुंदालय से कारित होना एवं मजरूब भुवनेश चौधरी के एक चोट खरौंच साधारण प्रकृति की कुंदालय से कारित होना बताते हुए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.21 व पी.22 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर एवं सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह होना बताया है। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्ष्य से मजरूबान के कारित चोटे साधारण प्रकृति की दर्शित होती हैं, इस प्रकार चिकित्सक की साक्ष्य से परिवादी व मजरूब के चोटें कारित होना तो दर्शित है, लेकिन परिवादी-मजरूबान के कारित चोटें अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी हो, ऐसी अभियोजन की अथवा स्वयं परिवादी/मजरूबान की कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि स्वयं परिवादी/मजरूबान ने अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ किसी भी प्रकार की घटना से इंकार किया है एवं अभियुक्तगण से राजीनामा होना बताया है, साथ ही चिकित्सक का ऐसा कोई कथन नहीं है कि मजरूबान के कारित कोई भी चोट प्राणघातक रही हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभियोजन यह पूर्णरूप से संदेह से परे साबित नहीं कर पाया है कि मजरूबान के कारित चोटें अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गई हैं एवं हस्तगत प्रकरण में बरामद किया गया चाकू अभियुक्त शाकिब खान उर्फ खान उर्फ मांडल के कब्जे व आधिपत्य से बरामद करना अभियोजन की ओर से बताया है, लेकिन उक्त बरामदगी स्थल के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि बरामदगी स्थल अभियुक्त के कब्जे का रहा हो। इस प्रकार अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष इस तथ्य को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 22.05.2022 को समय रात्रि करीब 10.30 से 11.10 पी.एम. के लगभग वाके शॉपिंग सेन्टर गुमानपुरा, कोटा शहर में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर जिनकी संख्या पांच अथवा पांच से अधिक थी, घातक हथियारों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी उत्कल पारेता व भुवनेश चौधरी के साथ बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया हो और उक्त अवैध

जमाव के सदस्य के रूप में परिवादी-मजरूब व भुवनेश चौधरी को वसूली के उददेश्य से डारा धमकाकर जबरदस्ती चैन छीनी हो एवं परिवादी के शरीर पर धारदार हथियार चाकू से प्रहार कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की हो एवं परिवादी-मजरूब उत्कल पारेता व मजरूब भुवनेश चौधरी के शरीर पर ऐसे ज्ञान व आशय के साथ और ऐसी परिस्थितियों में चाकू से प्रहार कर चोटे कारित की हो, जिनसे परिवादी व मजरूब की मृत्यु कारित होना संभाव्य हो, साथ ही अभियोजन पक्ष हस्तगत प्रकरण में चाकू की बरामदगी को भी संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त शाकिब खान उर्फ मांडल के विरूद्ध धारा 324, 147, 148, 307, 149, 384 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्तगण जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा, रवि धाकड उर्फ जिन्गा, विजय अरोडा उर्फ विक्की एवं कुशाल अरोडा उर्फ खुश के विरूद्ध धारा 324, 147, 148, 307, 149, 384 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित कराने में असफल रहा है।

25. इस स्थिति में उक्त अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित, युक्तियुक्त व सद्भावी प्रतीत होता है।

:ः आ दे श:ः

26. परिणामस्वरूप अभियुक्त **शाकिब खान उर्फ मांडल** पुत्र अब्दुल हनीफ उम्र 20 साल, निवासी बंजारा कॉलोनी, आदर्श नगर, थाना किशोरपुरा, कोटा को धारा 324, 147, 148, 307, 149, 384 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्तगण **जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा** पुत्र बाबूलाल उम्र 23 साल निवासी म.नं.ए-31, चंचल विहार, कुन्हाडी, थाना कुन्हाडी, कोटा, **रवि धाकड उर्फ जिन्गा** पुत्र रामलाल उम्र 20 साल निवासी रामचंद्रपुरा, पानी की टंकी के पास, बालिता रोड, कुन्हाडी, कोटा, **विजय अरोडा उर्फ विक्की पंजाबी** पुत्र राजेन्द्र अरोडा उम्र 25 साल निवासी म.नं.ए-10, हाउसिंग बोर्ड, पानी की टंकी के पास, कुन्हाडी, थाना कुन्हाडी, कोटा, **कुशाल अरोडा उर्फ खुश** पुत्र राकेश अरोडा, उम्र 22 साल निवासी न्यू पोस्ट आफिस रोड, कोटा जंक्शन, थाना भीमगंज मण्डी, कोटा को धारा 324, 147, 148, 307, 149, 384 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। उक्त अभियुक्तगण को धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में जरिए राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त किया जा चुका है। **अभियुक्तगण शाकिब खान उर्फ मांडल, जीतू उर्फ जितेन्द्र मीणा, विजय अरोडा उर्फ विक्की पंजाबी व कुशाल अरोडा उर्फ खुश** के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किये जाते हैं एवं **अभियुक्त रवि धाकड उर्फ जिन्गा इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है,** जिसका अविलम्ब रिहाई आदेश जारी हो। अभियुक्तगण की ओर से धारा 481 बी.एन.एस.एस. के तहत

जमानत-मुचलका पेश किए जा चुके हैं। हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

(आशीष दाधीच)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 कोटा (राज.)

27. निर्णय आज दिनांक 03.08.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम-1 कोटा (राज.)

NAND KISHORE BANSAL
Digitally signed by NAND KISHORE BANSAL
Date: 2026.08.04 12:46:55 +0000
Authenticated Document